"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 271] रायपुर, बुधवार, दिनांक 25 जुलाई 2018 — श्रावण 3, शक 1940

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-7/2017/38-2 (पार्ट-1). — छ. ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पत्र क्रमांक 775/पी. यू./07/ओ. एण्ड. एस./2015/8182, दिनांक 17-05-2018 द्वारा ओ. पी. जिन्दल विश्वविद्यालय, ओ. पी. जिन्दल नॉलेज पार्क, ग्राम-पूंजीपथरा, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ के संशोधित परिनियम क्रमांक 2 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 27 (5) के तहत् किया गया है.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपरोक्त अध्यादेशों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.

3. उपरोक्त अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, सचिव.

परिनियम क्र. 2 में संशोधन : कुलाधिपति

धारा क्र.	विद्यमान	संस्तुत
2.1	कुलाधिपति की नियुक्ति जिन्दल शिक्षा एवं कल्याण समिती (जे.ई.डब्ल्यू.एस.) प्रायोजक निकाय द्वारा 03 वर्ष अवधि के लिये कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से किया जाएगा बर्शते कि वह प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय या उसके प्रायोजक निकाय अथवा जे.ई.डब्ल्यू.एस. का परिवारिक सदस्य न हो । विश्वविद्यालय ऐसे महत्वपूर्ण पद पर किसी विख्यात शिक्षाविद या उद्योगपति की नियुक्ति सुनिश्चित कर सकेगा। यद्यपि ओ.पी.जिन्दल विश्वविद्यालय, उसके प्रायोजक निकाय, द्वारा कुलाधिपति के लिए की गई नियुक्ति राज्य शासन के परामर्श से न्यूनतम एक वर्ष परन्तु 03 वर्ष से अधिक अवधि के लिये नही होगी। प्रायोजक निकाय द्वारा साधारण बहुमत से कुलाधिपति का नाम निर्णित करेगा। अध्यक्ष/सचिव प्रायोजक निकाय द्वारा प्रस्तावित कुलाधिपति का नाम उसके जीवनवृतांत सहित कुलाध्यक्ष को अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा।	कुलाधिपति की नियुक्ति जिन्दल शिक्षा एवं कल्याण समिती (जे.ई.डब्ल्यू.एस.) प्रायोजक निकाय द्वारा 03 वर्ष अवधि के लिये कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से किया जाएगा। जे.ई. डब्ल्यू.एस. कुलाधिपति के पद पर किसी विख्यात शिक्षाविद या उद्योगपति की नियुक्ति कर सकेगा। प्रायोजक निकाय द्वारा साधारण बहुमत से कुलाधिपति का नाम निर्णित करेगा।अध्यक्ष/सचिव प्रायोजक निकाय द्वारा प्रस्तावित कुलाधिपति का नाम उसके जीवनवृतांत सहित कुलाध्यक्ष को अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा।

Naya Raipur, the 23rd July 2018

NOTIFICATION

No. F 3-7/2017/38-2 (Part-1). — Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur vide its Letter No. 775/PU/07/O&S/2015/8182, Dated 17-05-2018 has approved the amendment Statute No. 2 of O. P. Jindal University, O. P. Jindal Knowledge Park, Village-Punjipathara, Tehsil-Gharghoda, District-Raigarh, Under Section 27 (5) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act, 2005.

2. The State Government hereby gives its approval for notification of these Ordinances in Official Gazette.

3. The above Ordinances shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SURENDRA KUMAR JAISWAL, Secretary.

Amendment in Statute No. 2: THE CHANCELLOR

Clause No.	Existing	Recommended
2.1	The Chancellor shall be appointed by the Jindal Education and Welfare Society(JEWS), the Sponsoring Body, for a period of three years with the approval of the Visitor. JEWS shall not appoint persons who are family members or from the company to seek the posts of Chancellor and shall ensure the appointment of eminent academicians or industrialist for this post. Provided that, for making the O P Jindal University functional, their sponsoring body shall appoint the Chancellor in consultation with the State Government for a minimum period of one year, but not exceeding three years. The sponsoring body shall, by simple majority, finalize the name of the Chancellor. The President/Secretary of the sponsoring body shall send the name, along with bio-data of the proposed Chancellor, to the Visitor for approval.	The Chancellor shall be appointed by the Jindal Education and welfare Society (JEWS), the Sponsoring Body, for a period of three years with the approval of the Visitor. JEWS shall appoint an eminent academician or industrialist for the post of the Chancellor. The sponsoring body shall, by simple majority, finalize the name of the Chancellor. The President/Secretary of the sponsoring body shall send the name, along with bio-data of the proposed Chancellor, to the Visitor for approval.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.